भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2834

(जिसका उत्तर गुरुवार, 14 मार्च, 2013/23 फाल्गुन, 1934 (शक) को दिया गया)

<u>आर्थिक अपराध</u>

2834. प्रो. सौगत राय :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में कितनी भारतीय और विदेशी कंपनियां आर्थिक अपराधों में संलिप्त पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो किए गए आर्थिक अपराधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा संबंधित कंपनियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क) से (घ) : पिछले तीन वर्षों में कंपनी अधिनियम के तहत अभियोजित कंपनियों की संख्या निम्नवत् है:-

वर्ष	संख्या
2009-10	3196
2010-11	1653
2011-12	3511

कंपनी अधिनियम के तहत अपराधों में वित्तीय लेन-देन की गलत सूचना देना, निधि का दुरुपयोग और अन्यत्र उपयोग आदि शामिल है।

*****